

कर्मचारियों को कोई भी मुआवजा बीमा नहीं – एक बड़ी दुविधा

P. 1

मचान उद्योग के लिए कर्मचारियों के मुआवजा बीमा पर ज़रूरी सूचना

यदि आगे आने वाली मुसीबतों से बचना है तो सारे नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों का मुआवजा बीमा (Employees' Compensation Insurance – ECI) जारी करना होगा

हांगकांग के नियमों के अंतर्गत → सभी नियोक्ता जब भी किसी कर्मचारी को काम पर रखते हैं → तब उनका ECI ज़रूर जारी करें

कर्मचारियों के:

- ✓ कार्य की प्रकृति
- ✓ पूर्णकालीन या अंश कालीन रोजगार
- ✓ पक्का या क्षणिक पद
- ✓ कार्य करने की अवधि
- ✓ कर्मचारी के रोजगार के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि

यह सभी के बावजूद

अधिक जानकारी

कर्मचारियों के मुआवजा विधान (Employees' Compensation Ordinance – ECO) की धारा 40 के अंतर्गत, हांगकांग कानून के खण्ड 282 के तहत, नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को कोई कार्य में तब तक नहीं रख सकता जब तक नियोक्ता के देय धन को ढकने के लिए ECI की कोई नीति लागू न हो (सामान्य कानून शामिल), रोजगार की अवधि या कार्य के घंटे, पूर्णकालीन या अंश कालीन रोजगार, पक्के या छनिक पद को ध्यान में न लेते हुए।

ECI की सुरक्षा प्राप्त ना करना एक आपराधिक जुर्म है जिससे जुर्माना और कारावास हो सकता है

यदि कोई नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी के लिए ECI सुरक्षा को प्राप्त करने में असफल होता है वह जुर्म करता है और:

- ✓ अधिकतम \$100,000 का दंड और दो साल का कारावास हो सकता है यदि नियोक्ता दोषी निकले
- ✓ नियोक्ता को कर्मचारियों के मुआवजा सहाय कोष बोर्ड में अर्थदंड का भुगतान करना होगा
- ✓ कानून के अंतर्गत यदि कर्मचारी को कार्य पर चोट लगती है या मर जाता है या किसी निर्धारित व्यावसायिक रोग से पीड़ित है तो कर्मचारियों के मुआवजे के देय धन को निपटाने के लिए तब भी नियोक्ता ही ज़िम्मेदार है

अधिक जानकारी

जो नियोक्ता ECI सुरक्षा की प्राप्ति करने में ECO के नियमों के अधीन उनका पालन नहीं करता उसे:

- अधिकतम \$100,000 का दंड और दो साल का कारावास हो सकता है यदि उसका जुर्म सिद्ध हो जाये, और वह अभियोग के लिए उत्तरदायी है;
- नियोक्ता को कर्मचारी मुआवजा के सहाय विधान की धारा 36A, हांगकांग के कानूनों के अध्याय 365 के तहत कर्मचारी मुआवजा के सहाय कोष बोर्ड में अर्थदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है; और
- कानून के तहत यदि किसी कर्मचारी/कर्मचारिनी को चोट लगती है, या किसी वजह से रोजगार के समय मर जाता/जाती है या किसी ECO के तहत निर्धारित व्यावसायिक रोग से पीड़ित है तो कर्मचारियों के मुआवजे के देय धन को निपटाने के लिए तब भी नियोक्ता ही ज़िम्मेदार है

झूठीबीमा पालिसी का कभी भी इस्तेमाल न करें क्योंकि यह एक बहुत गंभीर अपराध है

नीचे दिये गये क्रय गंभीर अपराध हैं जिन पर मुकदमा चलाया जा सकता है:

- एक झूठी बीमा पालिसी जिसमें कई बीमा पालिसी का उल्लेख हो जो ECI को दिखाने के उद्देश्य से बनाई हो कि उनके कर्मचारी सुरक्षित हैं
- किसी ओर की बीमा पालिसी की चोरी एवं गलत प्रयोग करना
- बीमा पालिसी में गैरकानूनी तरह से परिवर्तन करना
- कोई झूठी बीमा पालिसी एवं दस्तावेज़ ईजाद करना

अधिक जानकारी

कोई भी इरादा जिससे कर्मचारियों के लिए ECI को जारी करने के दायित्व से बचना नीचे लिखे विधानों का उल्लंघन होगा

(i) आपराधिक विधान (खण्ड 200):

- जालसाजी
- किसी गलत साधन को रखना या उसका उपयोग करना
(अधिकतम दंड 14 साल का कारावास है यदि कोई जालसाजी एवं गलत साधन को रखे या उनका उपयोग करें)


(ii) चोरी विधान (खण्ड 210):

- धोखाधड़ी
(धोखाधड़ी के अपराध के लिए अधिकतम सजा 14 साल का कारावास है)

इनके उपरांत, यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी/कर्मचारिनी के लिए ECI जारी करने में निष्फल होता है, तो वह ECO के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। अधिकतम सजा \$100,000 का जुर्माना और दो साल का कारावास है।

श्रम विभाग नियोक्ताओं के कानून के साथ पालन करने के लिये कठोर कदम उठाता है

श्रम विभाग के कर्मचारी



प्रचलन विषय 1

- एक मचान कार्य स्थल के निरीक्षण के बाद, श्रम विभाग के कर्मचारियों ने एक बांस मचान कंपनी को उनके कार्यों की असुरक्षित अवस्था के बारे में बताया जिसके लिए वह जिम्मेदार थे।
- हालांकि, कंपनी के प्रभारी व्यक्ति ने संकेत दिया कि वह कार्य कंपनी द्वारा नहीं किया गया था।
- बाद में, प्रभारी व्यक्ति ने पाया कि किसी और ने झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल कर के कंपनी होने का दिखावा किया और कार्य स्थल पर काम किया।
- मामले की सूचना पुलिस को जांच के लिए दी गई थी। अंतः एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, उस पर झूठे दस्तावेज को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया और 80 घंटे की सामुदायिक सेवा के आदेश की सजा सुनाई गई।

प्रचलन विषय 2

- एक कर्मचारी को काम पर दुर्घटना के कारण चोट लग गई।
- जांच के उपरांत, श्रम विभाग ने पता लगाया कि उस घायल कर्मचारी के नियोक्ता ने कर्मचारी के लिए ECI नहीं निकलवाई है जो कि सांविधिक आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप श्रम विभाग ने नियोक्ता के ऊपर मुकदमा चलाया।
- ECO के तहत कर्मचारी के लिए ECI निकालने में विफल रहने पर नियोक्ता को छह महीने के तत्काल कारावास की सजा सुनाई गई थी।

*उपरोक्त वास्तविक मामलों से लिया गया है और केवल संदर्भ के लिए है। उदाहरणों में कंपनियों के नाम पूरी तरह से काल्पनिक हैं और कोई भी समानता महज़ संयोग है।

P. 6

"कर्मचारी" और "स्वे-नियुक्त व्यक्तियों" का अंतर करना क्योंकि गलत पद प्रदान करने से परेशानी होने के आसार हैं।

आपको यह मालूम होना चाहिए कि

ECI केवल कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है

ठेकेदार या स्वे-नियुक्त व्यक्तियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी की सुरक्षा स्वयं लेने पर विचार करना चाहिए

एक कर्मचारी जिसे संदेह है कि उसके **नियोक्ता ने ECI नहीं जारी की है** या **उसके खुद के पास कोई कानूनी ECI पालिसी नहीं है**

- कर्मचारी नियोक्ता से ECI के विषय में जानकारी पूछ सकता है
- जितनी जल्दी हो सके श्रम विभाग को शिकायत करें

शिकायत हॉटलाइन: 2815 2200

अधिक जानकारी

कर्मचारी, ठेकेदार या स्वे-नियुक्त व्यक्ति के बीच फर्क बताने के लिए, सभी कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। यह कुछ सामान्य कारण हैं:

- कार्य की प्रक्रियाओं, काम के समय और प्रणाली के ऊपर काबू रखना
- काम की सामग्री, उपकरण और सामान की मालकियत और प्रावधान
- क्या व्यक्ति व्यापार अपने खाते से कर रहा है निवेश और प्रबंधित जिम्मेदारियों के साथ।
- क्या व्यक्ति को अच्छी तरह से नियोक्ता के संगठन का अंश माना जाता है
- क्या व्यक्ति को काम में हाथ बढ़ाने के लिए सहायकों को नियुक्त करने की अनुमति है
- व्यवसाय के ऊपर वित्तीय खतरों को संभालना (जैसे की किसी लाभ या हानि होने की संभावना)
- बीमा और टैक्स की जवाबदेही
- संबंधित धंधा या पेशे की पुरातन बनावट और कार्यप्रणाली
- न्यायालय जिसे योग्य मानता है वह अन्य कारण

किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति को ठेकेदार या स्वे-नियुक्त कर्मचारी के रूप में बदलने से पहले उसके ऊपर ध्यान से विचार करना चाहिए और रोजगार के अधिकारों और लाभों के साथ-साथ इसमें शामिल हानि मालूम करना चाहिए, जो इस बदलाव के कारण वह कर्मचारी खो सकते हैं।

संक्षेप में यदि कोई एक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध मौजूद है, भले ही उस व्यक्ति को ठेकेदार या स्वे-नियुक्त व्यक्ति कहा जाता है, नियोक्ता को फिर भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को कानून के अंतर्गत पूर्ण रूप से उस कर्मचारी को सभी लाभ वापस भुगतान करने होंगे जिस पर स्वे-नियुक्त व्यक्ति का झूठा नाम थोपा गया है। इसके साथ, नियोक्ता उपर्युक्त कानून के तहत आपराधिक रूप से जवाबदेही भी हो सकता है।

क्योंकि हर मुद्दे में असली हालात अलग होते हैं, आखिरी व्याख्या भी कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है यदि कोई विवाद हो जाये।

ECI का सक्षम कवरेज जोखिमको उठाने के लिए लीजिये

ECI पालिसी एक लिखित इकरारनामा है जो नियोक्ता और एक बीमा कंपनी के बीच किया जाता है

ECI का उद्देश्य कार्य से संबंधित चोटों और मृतकों के लिए कर्मचारियों के मुआवजा प्रदान करने के **नियोक्ताओं के जोखिम** को सहन करना है।

अधिक जानकारी

नियोक्ता के द्वारा लिया हुआ ECI कवर

	कर्मचारियों की संख्या जिनके संबंध में नीति चल रही है	प्रति घटना के बीमा कवर के पैसे
ECI कवर एक नियोक्ता के द्वारा निकाला जाना	200 से ज़्यादा नहीं	\$100 मिलियन से कम नहीं
	200 से ज़्यादा	\$200 मिलियन से कम नहीं

प्रमुख ठेकेदार के द्वारा ली हुई ECI कवर

- जहाँ एक प्रमुख ठेकेदार ने किसी निर्माण-कार्य करने का काम लिया है, वह व्यक्ति एक बीमा पालिसी जिसकी कीमत \$200 मिलियन प्रति घटना से कम नहीं है जो उसकी और उसके उप-ठेकेदारों की देयता को कानून के तहत (सामान्य कानून शामिल) कवर करेगा।
- कार्यो का प्रमुख ठेकेदार और उसके/उनके उप-ठेकेदारों को अपनी दायित्व को लिखित रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।

ECI के बारे में गलत जानकारी देने पर भारी मुआवजा देना पड़ सकता है

नियोक्ताओं के लिए जानकारी

- काम आरम्भ करवाने से पहले **अपने कर्मचारियों की ECI जारी करवाएँ**
- **ECI की प्रक्रिया किसी अधिकृत बीमा कंपनी या लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ के माध्यम से ही करवाएँ**

याद रखें कि ECI निकलवाते समय बीमा कम्पनी को ठीक जानकारी दें

पालिसी की वैधता अवधि के दौरान दस्तावेज प्रमाण

रोजगार की शर्तें

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ उदाहरण. कर्मचारियों की कुल संख्या, असली कमाई, व्यवसायों और बाकी ज़रूरी उल्लेख | <ul style="list-style-type: none"> ➤ उदाहरण. कर्मचारियों की पगार के रिकार्ड/उचित निधि के योगदान का विवरण/कर विवरणी और लिखे का रिकार्ड |
|---|--|

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा पालिसी कानूनों के तहत नियोक्ता की देयता को पूरी तरह से कवर कर सकती है

ECI को निकालने के समय और उसकी अवधि के दौरान, या बीमा पालिसी के अंत या खत्म होने के समय, नियोक्ता को

- **आवश्यक जानकारी** की सूचना बीमा कंपनी को करें; तथा
- बीमा पालिसी के खत्म होने की तिथि का ध्यान रखें और एक बार समाप्ति हो जाने के ऊपर **आवश्यक कदम उठाए ताकि नुकसान और कानून के उल्लंघन से बचाव हो सके।**

अधिक जानकारी

- ECI पालिसी एक लिखित इकरारनामा है जो एक नियोक्ता और बीमा कंपनी के बीच किया जाता है। ECI का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के कार्य से संबंधित चोटों और मृतकों के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं के जोखिम को बाँटना है।
- बीमा कंपनियों और बाकी लाइसेंस पूर्णकों के रजिस्ट्रों को बीमा प्रदान की वेबसाइट से देखा जा सकता है।
- ECI को निकालते हुए, नियोक्ता को:
 - ✓ ध्यान से बीमा पालिसी की सारी जानकारी की अच्छी तरह से जांच करें, और यह भी जाँचे यदि प्रस्ताव फार्म सही जानकारी दे रहा है और पालिसी के मालिक के हस्ताक्षर को भी जाँचे; तथा
 - ✓ बीमा पालिसी की सारी जानकारी को इसके कवरेज को समझने के लिए अच्छी तरह से पढ़ें।
- यदि कोई भी बड़ा बदलाव रोजगार की स्थिति में हो (जैसे कि कर्मचारियों की संख्या, असली पगार, कार्य स्थल, व्यवसाय या पदों की जानकारी), तो नियोक्ता को जल्द से जल्द बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए।
- यदि नियोक्ता अनिश्चित है कि यदि किसी विशेष जानकारी का उल्लेख करना है, या ECI की नीति की शर्तों को लेकर कोई प्रश्न हैं, जैसे कुछ जानकारी/दस्तावेज जो बीमा कंपनी (या बीमा मध्यस्थ) को ECI पालिसी लेने/या उसके नवीनीकरण के लिए जाना चाहिए।
- ECI पालिसी लेने या उसके नवीनीकरण के समय यदि कोई नियोक्ता सही जानकारी के विवरण के साथ भौतिक तथ्यों की रिपोर्ट देने में निष्फल रहता है, तो यह कार्य नियोक्ता को बीमा कर्ता द्वारा कोई भी दावे की क्षतिपूर्ति के लिए पहले दिए गए पैसे को वापिस लेने के लिए बीमा कर्ता द्वारा कानूनी कार्रवाई के लिए किसी भी नीति के तहत खतरा पेश कर सकता है।

ECI के प्रीमियम छूट (डिस्काउंट) का आनंद लेने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (Occupational Safety and Health - OSH) उपायों को लागू करें

OSH के प्रगति उपायों को नियोजित लागू कर सकते हैं

- सुरक्षा मानकों पर खरे उतरने वाले साधन एवं उपकरण और सुविधाओं की प्राप्ति करें
- सभी कर्मचारियों को उपकरण और सुविधाएं देने के साथ-साथ उनका उचित तरीके से प्रयोग भी सुनिश्चित कीजिए
- उचित संभाल सुनिश्चित करें
- पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना, जैसे काम पर चोटों और मौतों के साथ दुर्घटनाओं के कारणों को दूर करने के लिए सुधार उपायों को ईजाद करना
- सभी कर्मचारियों को कार्य सुरक्षा प्रशिक्षण देना

बीमा कंपनियां प्रीमियम के ऊपर विशेष ऑफर देने के बारे में सोच सकती हैं!

अधिक जानकारी

OSH स्टार एन्टर्प्राइज़ - मरम्मत, संभाल, बदलाव और इज़ाफ़े (RMAA) की सुरक्षा आधिकारिक योजना (OSH Star Enterprise - Repair, Maintenance, Alteration and Addition (RMAA) Safety Accreditation Scheme)

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य समिति (Occupational Safety and Health Council) ने श्रम विभाग के सहकार से "OSH स्टार एन्टर्प्राइज़ - RMAA सुरक्षा आधिकारिक योजना" बीमा क्षेत्र को सुरक्षा के प्रति जागरूक RMAA मालिकों/ठेकेदारों की पहचान करने में मदद करने के लिए शुरू की है ताकि कर्मचारी मुआवजा बीमा अविशिष्ट योजना के तहत ECI प्राप्त करते समय योग्य उद्यमों को अनुकूल प्रीमियम दर प्रदान करने पर विचार किया जा सके। प्रीमियम का डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा 50% भी हो सकता है।

यदि ECI निकालने में कोई कठिनाई आ जाये तो क्या करना चाहिए?

हांगकांग में बीमा उद्योग ने कर्मचारी मुआवजा बीमा अवशिष्ट योजना को एक अंतिम उपाय के अवसर में उन नियोक्ताओं के सहाय रखा है, जिन्हें ECI निकालने में कोई परेशानी होती है।

नियोक्ता ECI हासिल कर रहे हैं इसको सुनिश्चित करना

अधिक जानकारी

जिन नियोक्ताओं को ECI निकालने में परेशानी हो रही है, वे कर्मचारी मुआवजा बीमा अवशिष्ट योजना ब्यूरो लिमिटेड (फोन: 2591 9316) से संपर्क कर सकते हैं।

बीमा पालिसी की जांच करने का तरीका सीखें और ECI के बारे में होशियार रहें

ECI पालिसी की जांच करते वक़्त, **पक्का करें कि सारे कर्मचारी पालिसी से कवर हों और नीचे दिए गए आधारों पर ध्यान दीजिये:**

- पालिसी के प्रकार को ECI के रूप में बताया जाना चाहिए
- क्या बीमित कंपनी का वही नाम है जो काम कर रही है (यदि नहीं, तो दोनों कंपनियों के बीच में क्या संबंध है और क्या काम करने वाली कंपनी के कर्मचारी उसमें शामिल हैं)
- बीमा पालिसी की उचित अवधि
- काम की अवधि बीमा पालिसी की उचित अवधि के भीतर आनी चाहिए
- कार्य का स्वभाव
- कार्य क्षेत्र/स्थान जो कवर हों (यदि लागू हो तो)
- कर्मचारियों की असली कमाई
- बीमित कर्मचारियों की संख्या
- शामिल कारोबार
- प्रतिरोध

यदि **मचान व्यवसाय** में लगे हैं, तो कार्य प्रकृति पर आमतौर पर बीमा पालिसी - **मचान कार्य के रूप में भरी जाएगी** (搭棚)

ABC बीमा कंपनी लिमिटेड**बीमा की प्रामाणिकता**

(保險證明)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित बीमा प्रभावित किया गया है

ABC बीमा कंपनी लिमिटेड

संदर्भ : CBDDAS/17/1

तारीख : 28 नवंबर 2019

बीमे का प्रकार : कर्मचारियों के मुआवजे का बीमा

बिमित व्यक्ति का नाम : सुरक्षा मचान कंपनी लिमिटेड

बीमे की अवधि : 29 नवंबर 2019 से 28 नवंबर 2020

कारोबार : मचान कार्य

रोज़गार का स्थान : 1) 20/F, ECI बिल्डिंग, हांगकांग
2) होंगकोंग के भीतर कहीं भी

जवाबदेही की हद : HK\$100 मिलियन किसी एक दावे या एक घटना से उठने वाले कई और दावों के संबंध में

बीमित कर्मचारी	कर्मचारियों का विवरण	कर्मचारियों की संख्या	पगार सूची
	मचान कर्मचारी/ ड्राइवर	2	HK\$967,200.00
	विविध कार्मचारी ड्राइवर	2	HK\$561,600.00
	कारोबार का भागीदार	1	HK\$249,600.00
	(गैर-हस्तचालित कार्य)	1	HK\$400,000.00

शर्त एवं वारंटी : 1) सुरक्षा बेल्ट वारंटी (30 फीट से अधिक) - मचान कर्मचारी पर लागू
2) निर्माण कार्यस्थल प्रतिरोध
3) अनुमति प्रतिरोध
4) बीमे का असल

टिप्पणी ABC बीमा कंपनी लिमिटेड मानक पालिसी के अनुसार नियम और शर्तें

उनके लिए और उनकी तरफ से

ABC बीमा कंपनी लिमिटेड

* ECI पालिसी का नमूना केवल संदर्भ के लिए

आधिक जानकारी

- नियोक्ताओं को बीमा पालिसियों द्वारा सहन करे जाने वाली कवरेज एवं सुरक्षा के दायरे के संबंधित पूर्ण ध्यान देना चाहिए, इसके इलावा वह शर्तें जो बीमा कंपनियों के द्वारा संलग्न की जा सकती हैं उनपर भी ध्यान देना चाहिए;
- अधिकारियों/संपत्ति प्रबंधन कंपनियों को ECI नीतियों वाले ठेकेदारों और मचान कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। कार्य आरम्भ होने से पहले, अधिकारी/संपत्ति प्रबंधन कंपनियां ठेकेदारों/मचान कंपनियों से अनुरोध कर सकते हैं कि वह वैध ECI और तीसरे पक्ष की बीमा पालिसियों को ईजाद करे ताकि दुर्घटना के समय सहन करने वाली मुआवजे की राशि को कम कर सकें।
- कृपया अपनी बीमा कंपनियों (या माध्यमिक बीमा कर्ता) से सीधे संपर्क करें ताकि कोई भी ECI पालिसियों या पालिसी शर्तों को निकालने के बारे में पूछताछ करनी हो वह सम्पूर्ण हो सके।

P. 17

पूछताछ /रिपोर्ट

कृपया अपनी बीमा कंपनियों (या बीमा बिचोलियों) से सीधे ECI पालिसी या पालिसी शर्तों को निकालने के बारे में पूछताछ करें। इस पत्रिका की सामग्री के बारे में किसी भी तरह की पूछताछ के लिए, कृपया नीचे दिए गए संबंधित विभाग/संगठनों से अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।

श्रम विभाग (Labour Department)

वेबसाइट: www.labour.gov.hk

पूछताछ हॉटलाइन: 2717 1771 ("1823" द्वारा संभाली जाती है)

ECI की वैधानिक जरूरतों पर नियोक्ताओं के गैर-अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए शिकायत हॉटलाइन है: 2815 2200

असुरक्षित अभ्यास* की रिपोर्ट करने के लिए OSH शिकायत हॉटलाइन है: 2542 2172

बीमा अधिकारी (Insurance Authority)

वेबसाइट: www.ia.org.hk

फ़ोन: 3899 9983

बीमा कंपनियों का होंगकॉंग महासंघ (The Hong Kong Federation of Insurers)

वेबसाइट: www.hkfi.org.hk

फ़ोन: 2520 1868

कर्मचारी मुआवजा बीमा अवशिष्ट योजना ब्यूरो लिमिटेड (The Employees' Compensation Insurance Residual Scheme Bureau Limited)

वेबसाइट: www.ecirsb.com.hk

फ़ोन: 2591 9316

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य समिति (Occupational Safety and Health Council)

वेबसाइट: www.oshc.org.hk

फ़ोन: 2739 9377

ECI को जारी करने के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया "कर्मचारी मुआवजा बीमा निकालने के बारे में अधिक जानकारी" पत्रिका पर बीमा अधिकारी और श्रम विभाग के द्वारा सह-निर्मित पर देखें।

* जनता भी OSH शिकायत फार्म भरकर असुरक्षित OSH अभ्यासों की रिपोर्ट श्रम विभाग की वेबसाइट या GovHK (<https://eform.one.gov.hk/form/ld0001/en/>) पर कर सकती है।

Back cover

इस पत्रिका की जानकारी छपाई के वक़्त वैध है

©2019 श्रम विभाग, HKSAR सरकार

Old Master Q की तस्वीरें ©2019 OMQ ZMEDIA LTD

नवंबर 2019

(Hindi version)